विश्वविद्यालय में मानवापूर्ति हेतु आमंत्रित ई–निविदाओं के संबंध में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2026 को पूर्वाह्न 1:00 बजे कुलपति कार्यालय सभाकक्ष–2 में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :–

1. डॉ0 एस0के0 कश्यप, कुलपति जी – अध्यक्ष
2. श्री बी0एस0 चलाल, निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण – सदस्य
3. डॉ0 आशुतोष सिंह, निदेशक विधि – सदस्य
4. डॉ0 एस0के0 वर्मा, निदेशक, अनुसंधान केन्द्र – सदस्य
5. डॉ0 जितेन्द्र क्वात्रा, निदेशक प्रसार शिक्षा – सदस्य
6. डॉ0 आर0पी0 सिंह, महाप्रबन्धक फार्म – सदस्य
7. डॉ0 वी0पी0 सिंह, प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय – सदस्य
8. श्री राजीव गुप्ता, नियंत्रक के नामित – सदस्य
9. श्री सुभाष चन्द्र, सुरक्षाधिकारी के नामित – सदस्य
10. डॉ0 बृजेश सिंह, संयुक्त निदेशक, श्रम कल्याण – सदस्य/संयोजक

विश्वविद्यालय के मुख्य एवं वाह्य परिसरों में ठेके के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियोजन सम्बन्धी नई निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. वर्तमान में श्रम कल्याण कार्यालय स्तर से सामान्य बजट एवं विभागीय चक्रीय निधियों की एक निविदा एवं शोध निदेशालय एवं प्रसार शिक्षा हेतु एक निविदा कुल दो पृथक–पृथक निविदायें आमंत्रित की गई हैं। भविष्य में विश्वविद्यालय स्तर से केवल 01 ही निविदा श्रम कल्याण कार्यालय स्तर से आमंत्रित की जाएगी।
2. वित्तीय निविदा खोले जाने पर यदि एक से अधिक फर्मों द्वारा समान सेवा शुल्क दरें दी जाती हैं तो फर्म के चयन में तकनीकी कारणों के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के बिन्दु संख्याः 3.5 निविदा का मूल्यांकन एवं संविदा प्रदत्त करना, के सब बिन्दु 3.5.3 के अनुसार **"सामग्री की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में, यदि दो या दो से अधिक निविदादाता समान राशि उद्वत करते हैं, तो अधिप्राप्तिकर्ता संस्था निविदा दस्तावेजों में परिभाषित शर्तों के अनुसार निविदादाता का चयन करेगी, जो निम्न पर आधारित हो सकता हैः**
   (क) टर्नओवर के आधार पर निर्धारित उच्चतम वित्तीय क्षमता या
   (ख) तकनीकी क्षमता को दर्शाने वाला कोई मानक या
   (ग) अन्य कोई मानक, जैसा कि निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया गया हो" उसी फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। इस सम्बन्ध में निविदादाता फर्मों को भी उक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए विश्वविद्यालय वेबसाइट में भी अपलोड किया जाय।
3. निविदा पूर्ण होने पर चयनित फर्म से अनुबन्ध होने के पश्चात् फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ बैठक कर अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन कराये जाने का दायित्व श्रम कल्याण कार्यालय एवं निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय का होगा।
4. सम्बन्धित विभागों द्वारा ठेका कर्मियों की उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से वाह्य सेवादाता को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागध्यक्ष/ईकाई प्रभारी की होगी।
5. दिनांक 31.07.2026 को वर्तमान अनुबन्धित फर्म मै0 जी0डी0एक्स0 सिक्योरिटी सॉल्यूशन इण्डिया, प्रा0लि0 की विस्तारित अवधि समाप्त होने से पूर्व ही निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय। किसी भी परिस्थिति में वर्तमान फर्म के अनुबन्ध को विस्तारित नहीं किया जाएगा।

(बृजेश सिंह)
संयुक्त निदेशक, श्रम कल्याण

(सुभाष चन्द्र)
सहा0 सुरक्षाधिकारी

(राजीव गुप्ता)
सहा0 लेखाधिकारी

(बी0पी0 सिंह)
प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय

(आर0पी0 सिंह)
मुख्य महाप्रबन्धक फार्म

(जितेन्द्र क्वात्रा)
निदेशक, प्रसार शिक्षा

(एस0के0 वर्मा)
निदेशक, शोध

(आशुतोष सिंह)
निदेशक, विधि

(बी0एस0 चलाल)
निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण

(एस0के0 कश्यप)
कुलपति

CamScanner